International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 4, Issue 7, July 2017
Website- www.aarf.asia, **Email** : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

"अनिवार्य एवं मुफत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 2009 एवं शिक्षकों के दायित्व"

डा0 सतनाम सिंह
एम0ए0 इतिहास, एम0एड0
एम0फिल (एजुकेशन)
एम0ए0 राजनीति शास्त्र
पीएच0डी0 (एजुकेशन)

भारत में अनिवार्य शिक्षा का पहला अध्याय समाप्त हो गया किन्तु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जलाए गये दीप का प्रकाश बुझा नहीं और क्रमशः देश की आजादी, अजाद भारत के संविधान में 45 वें अनुच्छेद के प्रावधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रतिबद्धताओं और उसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण और समता के लिए शिक्षा सम्बन्धी प्रयास, निरोपचारिक शिक्षा, समग्र साक्षरता अभियान, सर्वशिक्षा अभियान आदि योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए आज हम उस पड़ाव पर पहुँचे हैं जब 04 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 ने दिनांक 01 अप्रैल 2010 से कानून का रूप ले लिया है। वस्तुतः हमें कानून की प्रतीक्षा कई दशकों से थी जिसे अब न केवल उपेक्षित और वंचित वर्गों के हित में बल्कि जिन सामान्य के हितों की रक्षा और मानवाधिकार की दृष्टि से भी 'मील के पत्थर' के रूप में देखा जा रहा है।

बाल अधिकार कानून का लागू होना देश की प्रगति के लिए एक शुभ लक्षण है। इस कानून के सकारात्मक पक्षों से कदाचित सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक देश में कमजोर वर्ग के करोड़ो बच्चों की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता था। लेकिन अब कानून का स्वरूप ले लेने से 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की शिक्षा का मार्ग प्रशास्त हो गया है। संदर्भगत विधेयक में मोटे तौर पर कुल दस उद्देश्यों को प्राप्त करने

© **Associated Asia Research Foundation (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

की बात कहीं गयी थी जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, राज्यों द्वारा शिक्षा प्रदान करने की दायित्व पूर्ति, संविधान के अनुरूप पाठ्यक्रम, शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति, शिक्षकों द्वारा दायित्व निर्वहन और प्रवेश में नौकरशाही प्रवृति की समाप्ति आदि शामिल किये गये हैं। ये सभी बिन्दु निश्चित रूप में किसी न किसी मायने में अतिमहत्त्वपूर्ण हैं।

अनिवार्य और मुफत शिक्षा कानून के अन्तर्गत शिक्षा से जुड़े कुछ अन्य प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है। इसमें प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध, डोनेशन और शारीरिक दण्ड पर रोक जैसे मामले प्रमुख हैं। साथ ही इसमें बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से बचाने का भी प्रावधान किया गया है। कक्षा आठ तक किसी भी विद्यार्थी को कक्षा से निकालने एवं फेल करने को गैर कानूनी बना दिया गया है।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल का दावा तो यह है कि 6–14 वर्ष के बीच की उम्र के बच्चों को मुफत और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार मिल जाने से शिक्षा हांसिल करके अपनी और अपने परिवार की गरीबी दूर करने और विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पाने का नया अवसर मिलेगा। सिब्बल ने कहा है कि यह सुनिश्चित करेंगे कि देश के वंचित तबकों के बच्चे इस सुविधा का पूरा फायदा उठा सके। बच्चों के गाँव की दहलीज पर स्कूल हों और उन्हें पढ़ने के लिए दूर दराज न जाना पड़े। सरकार का मानना है कि तीन साल के अन्दर देश के सभी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई के लिए सम्पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध करा देगी।

दैनिक जागरण अगस्त 2009 की रिपोर्टिंग के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों का कहना है कि शिक्षा अधिकार बिल असमानता को बढ़ावा ही देगा। उनके अनुसार सरकारी स्कूलों, राज्य से सहायता प्राप्त स्कूल, विशेष दर्जा स्कूल और गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता अलग–अलग दर्ज की है और बिल में कहीं समान स्तर की शिक्षा देने की बात नहीं की गई है। वहीं कपिल सिब्बल का कहना है की एक बार शिक्षा के मूल अधिकार तक सभी बच्चों की पहुँच हो जाने के बाद समान स्तर की शिक्षा देने के मामले पर भी कार्य किया जायेगा।

दैनिक जागरण 3 अप्रैल 2010 के सम्पादकीय पृष्ठ पर लिखा गया था कि–यह किसी त्रासदी से कम नहीं कि देश की तस्वीर बदल सकने वाले एक महत्त्वाकांक्षी कानून को अमल में लाने की घोषणा पर राज्य सरकारों का रवैया यह आभास नहीं कराता कि वे एक

महती जिम्मेदारी का निर्वाह करने जा रहें है। चंद राज्यों को छोड़कर ज्यादातार राज्य सरकारों ने शिक्षा अधिकार शुरू कर दी है। कुछ धन की कमी का रोना रो रहे है तो कुछ उदासीनता दिखा रहे हैं जैसे यह कानून किसी और देश में लागू हुआ हो। यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार शिक्षा अधिकार कानून को अपनी जिम्मेदारी कम एक बोझ मानने के संकेत अधिक दे रही है।

शिक्षा प्रदान करने का काम अत्यन्त सम्मान का कार्य होता है। अतः शिक्षक और शिक्षा अधिकारियों को बहुत सतर्कता एवं सजगता के साथ सभी कार्य करने चाहिए। इस महान अभीष्ट को पूरा करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं चल सकता। इसके लिए तो वाकायदा धीर–गम्भीर होकर कार्यरत रहना जरूरी है। इसमें सफल होने के लिए शिक्षक को स्वाध्यायी होना जरूरी है ताकि वह देश दुनियाँ की उद्यतन जानकारियों से वाफिक रह सकें। एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा विद्यार्थी भी होता है वह जानता है कि बिना पड़े पढ़ाया नहीं जा सकता। लिहाजा वह पढ़ता है, परस्पर चिन्तन–मनन करता है, विचारों का विनिमय करता है। वह शोध और अनुसंधान करता है। इन सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य वह विद्यार्थी को समझने का कार्य करता है। अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम में शिक्षकों की योग्यताएँ व उत्तरदायित्वों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है –

1. अकादमी तथा प्रशिक्षण की योग्याएँ वे होगी जो केन्द्रीय शिक्षकों की – राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् सरकार द्वारा तय की गई संस्था निर्धारित करें, जैसे (एनसीटीई)
2. शिक्षकों की अकादमी जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी गई है।
3. वे प्राईवेट ट्यूशन नहीं कर सकेंगे ।
4. शिक्षकों को जनगणना, प्राकृतिक विपदाओं तथा आम चुनाओं के अलावा किसी प्रकार का गैर–शैक्षिक कार्य नहीं दिया जा सकेगा।
5. इस समय देश में शिक्षकों के साढ़े पाँच लाख पद सृजित होंगे। इन सभी पदों को भरने का कार्य आगामी छह मास में किया जाना है।

शिक्षकों से महत्त्वकांक्षी अपेक्षाएँ अग्रांकित हैं

1. वे स्थानीय समाज तथा माता–पिता के प्रति जवाबदेह होंगे।
2. वे विद्यार्थियों को किसी प्रकार का शारीरिक/मानसिक दण्ड नहीं देंगे।

3. वे विद्यालयी वातावरण को ध्यान में रखते हुए वे विद्यार्थी–विद्यार्थी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।
4. वे आदर्श शिक्षक के रूप में नियमित रूप से समय पर स्कूल आयेंगे पर कार्य करेंगे।
5. यह अधिनियम शिक्षकों से अपेक्षा करता है कि शिक्षक नैतिकता के आधार पर कार्य करेंगे।
6. यदि शिक्षक अपने दायित्वों को पूरा करने के असफल होता है तो उन्हें नियमानुसार दण्डित किया जाएगा।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हो चुका है। इसमें विभिन्न पहलुओं को यथा स्पष्ट किया गया है। अब उनकी पालन करने तथा करवाने का काम शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं आम आदमी को करना है। इनमें भी शिक्षक को एक उच्च आदर्शवान व्यक्ति के रूप में देखा गया है। इसलिए अध्यापकों का यह पुनित कर्त्तव्य बनता है कि वे अपनी जिम्मेदारी को उत्साह पूर्वक निभायें। आर.टी.ई. कानून की मूल भावनाओं की पूर्ति तभी संभव है जब सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन हो, वे निर्धारित पाठ्यक्रम और 14 वर्ष की आयु पूरा करने तक विद्यालयों में टिके रहे, उन्हें योग्य और कर्मठ शिक्षक टी.ई.टी. के माध्यम से उपलब्ध करायें, शिक्षक छात्र अनुपात सही हो, विद्यालय में गुणवत्ता परक पठन–पाठन हेतु पर्याप्त भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध हों और विद्यालय का वातावरण शान्तिमय तथा सौहार्द्रपूर्ण हो तभी यह कानून सार्थक एवं फलदायी होगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि संदर्भगत कानून व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास तथा मानवाधिकार की दृष्टि से भी अतिमहत्त्वपूर्ण, आकर्षक और सुफलदायी है किन्तु इसका क्रियान्वयन बड़ा चुनौती भरा है।

सन्दर्भ

1. The Pioneer August, 2009
2. हिन्दुस्तान दैनिक, लखनऊ, अगस्त 2009
3. दैनिक जागरण, लखनऊ, 3 अप्रैल 2010
4. वही अप्रैल, 2010
5. वही अप्रैल, 2010
6. वही अप्रैल, 2010